

संख्या- 5414 / 96-आयुष-1-2018-डब्लू-368 / 2018

प्रेषक,

आर०एन० बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
आयुर्वेद सेवाएँ,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1,

लखनऊ दिनांक 11 नवम्बर, 2018

विषय- रिट याचिका संख्या-18464 एम०एस०/18 प्रदीप कुमार चौधरी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि० 15.11.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या 4072/ शिक्षा दिनांक-11.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि रिट याचिका संख्या-18464 एम०एस०/18 प्रदीप कुमार चौधरी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि० 15.11.2018 के अनुपालन में दिनांक-15.12.2018 के पश्चात निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों में बी०ए०एम०एस०/बी०यू०एम०एस०/बी०एच०एम०एस० पाठयक्रम में प्रवेश की आगे की प्रक्रिया हेतु विधिक परामर्श प्राप्त किया जाये साथ ही आगे की प्रक्रिया हेतु कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न है, जिस पर भी अनुमति प्रदान किया जाये।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 4072/ शिक्षा दिनांक-11.12.2018 के साथ संलग्न "आवश्यक सूचना" पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

भवदीय

(आर०एन० बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

